पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या 40750/2016

थाना मामला संख्या -64 वर्ष-2014 थाना- महिला थाना जिला- भागलपुर से उत्पन्न

==========

प्रेमलता वर्मा उर्फ प्रेमलता देवी, पत्नी भगवती प्रसाद वर्मा, निवासी-मंदारोजा, थाना-कोतवाली (तातारपुर) जिला-भागलपुर

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. चांद वर्मा, पत्नी राकेश वर्मा, निवासी मंदारोजा चौक, थाना-कोतवाली, जिला-भागलपुर

... ...विरोधी पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता

श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री बिनोद कुमार सं.3, अ.लो.अ.

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 482---रद्द करना--- भारतीय दंड संहिता---धारा 498ए, 34---ओ.पी. संख्या-2 की सास की ओर से दायर धारा 498ए, 34 आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका।

निष्कर्ष: सूचक ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की क्योंकि पूरी एफआईआर में वह याचिकाकर्ता की उसके साथ उत्पीड़न और क्रूरता करने में किसी भी विशिष्ट भूमिका का खुलासा करने में विफल रही और उसने एफआईआर

दर्ज करने से नौ महीने पहले अपने पति के साथ एक किराए के घर में याचिकाकर्ता से अलग रहना शुरू कर दिया था --- याचिकाकर्ता वर्तमान में 70 वर्षीय महिला है और उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह अदालत का मानना है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध से संबंधित आरोपों के लिए याचिकाकर्ता को मुकदमे के अधीन करना पूरी तरह से उसका उत्पीड़न होगा और साथ ही अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा --- आरोपित आदेश खारिज ---- याचिका स्वीकार की गई।

(पैरा 4)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

12 20-03-2025

1. यह तात्कालिक आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें भागलपुर सदर महिला थाना मामला संख्या 64/2014 के संबंध में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 34 के साथ धारा 498ए के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए दिनांक 07.04.2015 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौतम कुमार केजरीवाल ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में यह याचिका दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, लेकिन उसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 2, ओ.पी. संख्या 2 के ससुर की मृत्यु हो गई और तदनुसार, उनका नाम दिनांक 18.01.2024 के आदेश द्वारा हटा दिया गया

और अब यह याचिका वर्तमान याचिकाकर्ता अर्थात् प्रेमलता वर्मा उर्फ प्रेमलता देवी (याचिकाकर्ता संख्या 1) से संबंधित है, जो ओ.पी. संख्या 2 की सास हैं। ओ.पी. संख्या 2 का इस याचिकाकर्ता के बेटे के साथ विवाह एफआईआर दर्ज करने की तिथि से 14 वर्ष पूर्व हुआ था, जो एक स्वीकृत स्थिति है और ओ.पी. संख्या 2 और उसके पति के बीच वैवाहिक संबंध से तीन बच्चे पैदा हुए, जिनका विवरण एफआईआर में ही दिया गया है। संपूर्ण एफआईआर में, सूचक (ओ.पी. सं. 2) ने इस याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में 70 वर्ष की महिला है, के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है तथा ओ.पी. सं. 2 द्वारा लगाए गए क्रूरता से संबंधित सभी आरोप उक्त याचिकाकर्ता के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वव्यापक हैं तथा यह स्वीकार किया जाता है कि सूचक, जो इस याचिकाकर्ता की पुत्रवधू है, एफआईआर दर्ज होने के नौ माह पूर्व से ही अपने पति के साथ याचिकाकर्ता एवं उसके दिवंगत पति से अलग रहने लगी थी तथा ओ.पी. सं. 2 के आरोप के अनुसार याचिकाकर्ता एवं उसके दिवंगत पति कभी-कभी ओ.पी. सं. 2 के किराए के मकान में आते थे, जहां उक्त ओ.पी. एवं उसके पति रहते थे, हालांकि, उसके अनुसार उक्त किराए के मकान में उसे इस याचिकाकर्ता सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा प्रताड़ित भी किया गया था, लेकिन इस संबंध में याचिकाकर्ता की कोई विशेष भूमिका सामने नहीं आई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में ओ.पी. संख्या 2 का आशीष वर्णवाल नामक व्यक्ति से कुछ संबंध था, जो ओ.पी. संख्या 2 के पति की अनुपस्थिति में अक्सर याचिकाकर्ता के पुत्र के घर आता-जाता रहता था तथा उक्त आशीष वर्णवाल और ओ.पी. संख्या 2 के बीच भावनात्मक लगाव था, एक दिन ओ.पी. संख्या 2 आशीष वर्णवाल के साथ भाग गया, तब ओ.पी. संख्या 2 के पति ने दिनांक 16.07.2014 को भागलपुर के कोतवाली थाना में एक सनहा दर्ज कराया, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक-2 के रूप में दाखिल की गई है तथा उसके बाद पुलिस ने ओ.पी. संख्या 2 की खोज शुरू की तथा उक्त आशीष वर्णवाल को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन

ओ.पी. संख्या 2 भागने में सफल रहा तथा पुलिस के समक्ष आशीष वर्णवाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा उसके द्वारा थाने में किए गए टेलीफोन कॉल पर ओ.पी. संख्या 2 थाने में आ गया। और पुलिस से अनुरोध किया कि उसे खुद को सुधारने का मौका दिया जाए और फिर पुलिस ने याचिकाकर्ता के बेटे को ओ.पी. नंबर 2 को वापस अपने घर ले जाने का निर्देश दिया और यह आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ओ.पी. नंबर 2 खुद एक खराब चरित्र की महिला है और उसने इस याचिकाकर्ता, उसके दिवंगत पति और उसके बेटे को परेशान किया। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि ओ.पी. नंबर 2 के व्यवहार और चरित्र के कारण, इस याचिकाकर्ता के बेटे ने उसके और ओ.पी. नंबर 2 के बीच विवाह को भंग करने के लिए एक वैवाहिक मुकदमा दायर किया और उक्त मामला अभी भी लंबित है।

3. ओ.पी. नंबर 2 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। हालांकि विद्वान एपीपी ने याचिका का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि पूरी एफआईआर में याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और वह एक बुजुर्ग महिला है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्तुतियों और आधारों के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि सूचक ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि पूरी एफआईआर में वह याचिकाकर्ता द्वारा उसके साथ उत्पीड़न और क्रूरता करने में किसी विशिष्ट भूमिका का खुलासा करने में विफल रही है और उसने स्वीकार किया है कि एफआईआर दर्ज कराने से नौ महीने पहले वह अपने पति के साथ किराए के मकान में इस याचिकाकर्ता से अलग रहने लगी थी और एफआईआर के अंतिम भाग में उसने आरोप लगाया कि उसने इस याचिकाकर्ता सहित अभियुक्तों के क्रूर व्यवहार के संबंध में कई शिकायतें दर्ज

कराई थीं और उस मामले में सभी अभियुक्तों ने बांड निष्पादित किए और माफी के लिए प्रार्थना की। लेकिन इन बांडों के संबंध में सूचक कोई विवरण देने में विफल रही और उसने बचाव में कहा कि उस समझौते से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज बाढ़ में नष्ट हो गए थे लेकिन उक्त विवरण पूरी तरह से अस्पष्ट है और विश्वसनीय नहीं लगता है। याचिकाकर्ता वर्तमान में 70 वर्षीय महिला है और उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर इस न्यायालय का यह विचार है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध से संबंधित आरोपों के लिए याचिकाकर्ता को मुकदमे के अधीन करना उसके लिए पूरी तरह से उत्पीड़न होगा और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा, इसलिए आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 498 ए के तहत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश के साथ-साथ भागलपुर सदर महिला पी.एस. केस संख्या 64/2014 के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त संज्ञान आदेश के कारण उत्पन्न सभी कार्यवाही को केवल इस याचिकाकर्ता की सीमा तक रद्द किया जाता है और तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।